रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262056
CG-DL-E-28032025-262056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947
No. 1482] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1500(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 50(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 130 और 49) के किमी 0.000 से किमी 127.650 (रायपुर-बिलासपुर खंड) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने एनएचआईटी सदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("एनएसपीपीएल"), और जिसका पंजीकृत कार्यालय 325, तीसरा तल, डी21 कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर 21, द्वारका, धूलसिरस, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110077 में है (जिसे इसके पश्चात "कंसेसनेयर" कहा जाए) के साथ 12.03.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 130 और 49) के किमी 48+580 से किमी 126+525 तक चार लेन के सिमगा बिलासपुर खंड तक (जिसे इसके पश्चात उक्त खंड कहा जाए) पर टोल लगाने, संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण के लिए एक करार (जिसे इसके पश्चात उक्त करार कहा जाए) किया है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और करार पर हस्ताक्षर होने तक इसके अधिसूचित किसी भी अन्य संशोधन और ऐसे अधिक्रमण से

पहले की गई या करने से छूटी हुई बातों को छोड़कर अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 3749 (अ) दिनांक 18.10.2019 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय, निवेश की गई पूंजी पर ब्याज, उचित रिटर्न, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और कंसेसनेयर के साथ किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि **छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (नया राजमार्ग-130 और राष्ट्रीय राजमार्ग-49) पर (किमी 48+580 से किमी 126+525 तक) चार लेन विभाजित राजमार्ग सिमगा से बिलासपुर खंड** (जिसे इसके पश्चात "उक्त खंड" कहा जाए),के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार या अधिक लेन खंड की निवल सड़क खंड लंबाई 47.798 किमी (सारणी-2) और 8.627 किमी (0.8627 किमी की लंबाई वाली, सारणी 4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे तालिका -1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 100% पर और 10 करोड़ रू. या उससे अधिक की लागत वाले 29.2844 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले चार और अधिक लेन बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्गहीत और संग्रहीत किया जाएगा, तथा उक्त कंसेसनेयर को वाणिज्यिक संचालन की तिथि या प्रकाशन या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित आधार दरों पर, शुल्क प्लाजा पर देय होगा, अर्थात:-

सारणी -2			
क्रम सं.	**टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)**	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में भोजपुरी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -130 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -200) के किमी 97.516 पर	47.798 [0.6691 किमी लम्बी संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) को छोड़कर तथा 8.933 किमी बाईपास लम्बाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में **मुडीपार** गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -49 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -200) के किमी 110.300 पर	0.00 [0.1936 किमी लम्बी संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) और 20.3514 किमी बाईपास	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

		लंबाई को छोड़कर]	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए निर्दिष्ट बाईपास की लंबाई के लिए ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित आधार दर का डेढ़ गुना होगा: -

सारणी-3

टोल प्लाज़ा का स्थान (विद्यमान किलोमीटर)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी. में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में भोजपुरी गाँव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -130 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -200) के किमी 97.516 पर	सिमगा बाईपास	48.580 किमी	51.428 किमी	2.848	31.31	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	लिमतारा बाईपास	66.310 किमी	67.940 किमी	1.630	11.93	
	बैतालपुर बाईपास	85.526 किमी	84.626 किमी	2.100	21.96	
	सरगांव बाईपास	91,026 किमी	93.381 किमी	2.355	17. 71	
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में **मुडीपार** गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग -49 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -200) के किमी 110.300 पर	बिलासपुर बाईपास	105.980 किमी	126.525 किमी	20.3514 (संरचना की लंबाई >60 मीटर को छोड़कर)	167.09	
कुल लम्बाई				**29.2844**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी, ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित दर पर, देय और संदेय होगा:

सारणी-4

टोल प्लाजा का स्थान (विद्यमान किलोमीटर)	**सड़क की लंबाई* के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के भोजपुरी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग -130 (पुराना			चार या अधिक लेन के लिए

राष्ट्रीय राजमार्ग -200) के किमी 97.516 पर	0.6691^	6.691	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में **मुडीपार** गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-49 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -200) के किमी 110.300 पर	0.1936^^	1.936	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* संरचनाओं का विवरण (> 60 मीटर लंबाई) निम्नानुसार है:

^ टीपी-1 के लिए विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	**प्रारंभिक चेनेज (किमी पर)**	**अंतिम चेनेज (किमी पर)**	**संरचना का प्रकार**	**कुल लंबाई (किमी में)**
1.	68.1039	68.653	बड़ा पुल	0.5491
2.	95.448	95.568	बड़ा पुल	0.120
		कुल		**0.6691**

^^ टीपी-2 के लिए विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1	106.110	106.210	फ्लाईओवर	0.100
2	108.887	108.980	आरओबी (बिलासपुर बाईपास)	0.0936
कुल				**0.1936**

4. प्राधिकरण यांत्रिक वाहनों पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क दर का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के नियम 4(5) और नियम 4(6) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जैसा कि तालिका-1 में विनिर्दिष्ट है।

5. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2024-25 के लिए 340.000/-रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5

संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

7. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

8. किसी यांत्रिक वाहन पर नियमों के अंतर्गत उसकी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदा हुआ है, तो उसे प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, उक्त नियमों में लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्: -

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	**आधार दर में गुणन कारक**	**शुल्क**
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[(नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x (गुणन कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छह	
>60% से80%	आठ	
>80% और उससे अधिक	दस	

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कंसेसनेयर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके बाद उक्त नियम के नियम 5 और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार इसे प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा; तथापि, बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. वित्त अनुभाग-16012(12)/1/2024-O/o म. प्र. (वित्त-II)-भाग(3)/ई-249666]

कमलेश चतुर्वेदी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1500(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 50(E) dated the 10th January, 2012, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted from Km 0.000 to Km 127.650 (Raipur- Bilaspur section) of National Highway No. 200 (New NH 130 & 49) in the state of Chattisgarh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

And whereas pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with NHIT Southern Projects Private Limited ("NSPPL"), and having its registered office at 325, 3rd Floor, D21 Corporate Park, Sector 21. Dwarka, Dhulsiras, New Delhi, South West Delhi-110077. (hereinafter referred to as "Concessionaire") on 12.03.2025 for the Tolling, Operation, maintenance, and Transfer of four lane Simga Bilaspur section from km 48+580 to km 126+525 of National Highway Number 200 (New NH 130 & 49)in the state of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and any other its amendments notified thereof till signing of the Agreement and in supersession of the Notification Number S.O. 3749(E) dated 18.10.2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said national highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the **four lane divided Highway Simga to Bilaspur section (from Km 48+580 to Km 126+525) of NH-200 (New NH-130 & NH-49) in the state of Chhattisgarh** (here in after referred to as the "said section'), for net road length of 47.798 Km (Table 2) at 100 % of the rates specified in Column (2) of Table 1 below and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 8.627 Km (having length 0.8627 Km, Table 4) and at one and a half times of the base rate for use of bypasses, costing rupees ten crore or more, having length of 29.2844 Km (Table 3) for the four or more lane section on the type of vehicles specified in Column (1) of Table 1 and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement

Table1

Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)
(1)	**(2)**
Car, Jeep, Van, or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (ECM) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza, at the base rates mentioned in the Table 1 above, for the distance specified for such Fee Plaza(s), namely-

Table 2

S.N.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is Payable	Rate at which Fee is payable
1	At Km 97.516 of NH-130 (Old NH-200) near Bhojpuri village in Bilaspur district of Chhattisgarh State	47.798 [excluding 0.6691 Km of structures (having length more than 60m) and excluding bypass length 8.933 Km]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following fee plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of Bypass(es) specified for such fee plaza(s):-

Table 3

Location of Toll Plaza (Existing Kilometer)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 97.516 of NH-130 (Old NH-200) near Bhojpuri village(s) in Bilaspur district of Chhattisgarh State	Simga Bypass	Km 48.580	Km 51.428	2.848	31.31	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Limtara Bypass	Km 66.310	Km 67.940	1.630	11.93	
	Baitalpur	Km 82.526	Km 84.626	2.100	21.96	

	Bypass					
	Sargaon Bypass	Km 91.026	Km 93.381	2.355	17.71	
At Km 110.300 of NH-49 (Old NH-200) near Mudipar village(s) in Bilaspur district of Chhattisgarh State	Bilaspur Bypass	Km 105.980	Km 126.525	20.3514 (Excluding length of structure > 60m)	167.09	
	Total Length			**29.2844**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following fee plaza(s), by converting length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above : -

Table 4

Location of Toll Plaza (Existing Kilometer)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which Fee is payable
At Km 97.516 of NH-130 (Old NH-200) at Bhojpuri village in Bilaspur district of State Chhattisgarh	0.6691^	6.691	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 110.300 of NH-49 (Old NH-200) near Mudipar village in Bilaspur district of State Chhattisgarh	0.1936^^	1.936	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

^ For TP-1, details are as under:

Sr. No	Start Chainage (at Km)	End Chainage (at Km)	Type of Structure	Length (in Km)
1	68.1039	68.653	Major Bridge	0.5491
2	95.448	95.568	Major Bridge	0.120
Total				**0.6691**

^^ For TP-2, details are as under:

Sr. No	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	106.110	106.210	Fly Over	0.100
2	108.887	108.980	ROB (Bilaspur Bypass)	0.0936
Total				**0.1936**

4. The Authority shall ensure compliance with Rule 4(5) and Rule 4(6) of the NH Fee Rules while determining the user fee rate to be levied on mechanical vehicles, as specified in Table-1.

5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 5

Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

8. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules, namely: -

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	**Multiplying Factor to the base rate**	**Fees**
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and Above	Ten	

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rule and provisions of the concession agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. FINDIV-16012(12)/1/2024-O/oGM (Finance-II)-Part(3)/E-249666]
KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.28 15:37:38 +05'30'